Chaibasa Engineering College

(Estd. by Govt. of Jharkhand & run by Techno India under PPP)
(Approved by AICTE, New Delhi & affiliated to Jharkhand University of Technology / Kolhan University, Chaibasa)

Corporate Office : EM 4/1, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700 091
Phone : (91) 33-2357-6163/64/2658/1094, Fax : (91) 33-2357-1097

Ref. No : CEC/GEN/JUT/2020/0323

Date : 15.06.2020

NOTICE

All Concerned (3rd Semester Lateral entry students, admitted through spot counselling) students are hereby informed to visit JUT authorized **Gyanjyoti** Portal for the B.Tech registration process.

Students are advised to be very careful during the time of providing information at the above-mentioned portal.

Registration Process is open from 15.06.2020 to 19.06.2020.

However, all concerned are advised to complete the registration process latest by 16.06.2020 to avoid any unwanted glitch & rush.

Registration Link : 164.100.150.29/gyanjyoti

For any other query & concern related to this, students may call Mr. Abhay Kumar at 6203236341 / 7091017072

15.06.2020.

Dr. Ranjit Roy
Principal
Chaibasa Engineering College

Principal
Chaibasa Engineering College
(Estd. by Govt of Jharkhand &
run by Techno India under PPP

Encl.

1. JUT notification dated 13/06/2020 vide letter no. JUT-338/2020/415

Campus Address : P.O. - Jhikpani , P.S. - Jhikpani , Dist. - Chaibasa , Jharkhand , Pin - 833215
Website : www.chaibasaengg.edu.in • Email : coordinatortigjh@gmail.com • Contact : +91 86172 63690 (Whatsapp)

Scanned with CamScanner

झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर (साईंस एण्ड टेक्नोलॉजी कैम्पस),
सिरखा टोली, नामकुम, राँची – 834010 (झारखण्ड)

पत्रांक – JUT-338/2020/415 /राँची, दिनांक–13/06/2020

प्रेषक,

कुलसचिव (प्र0),
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
नामकुम, राँची।

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य,
सभी राजकीय / गैर–राजकीय एवं पी0 पी0 पी0 मोड पर संचालित डिग्री अभियंत्रण संस्थान,
सभी राजकीय / गैर–राजकीय एवं पी0 पी0 पी0 मोड पर संचालित पोलिटेकनिक संस्थान।

विषयः– **शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में डिग्री एवं डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर / वार्षिक तथा पार्श्विक प्रवेश योजना के अन्तर्गत SPOT COUNSELING (Special Counseling) के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों द्वारा निबंधन के लिए भरे गये ऑन लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को अनुमोदित / अस्वीकृत किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2019–20 में डिग्री एवं डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में नियमित सेमेस्टर / वार्षिक तथा पार्श्विक प्रवेश योजना के अन्तर्गत SPOT COUNSELING (Special Counseling) के माध्यम से नामांकित विद्यार्थियों का औपबंधिक निबंधन से संबंधित कार्य दिनांक–**15.06.2020** से किया जाना है।

2. इस निमित्त निबंधन आवेदन पत्र का प्रपत्र, विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी Link – 164.100.150.29/gyanjyoti पर भारित (Upload) है, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा सभी संबंधित प्रविष्टियों को काफी ध्यान पूर्वक एवं सही तरीके से भरा जाना है।

3. निबंधन के लिए विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र में निबंधन शुल्क से संबंधित जमा की गई राशि का विवरण भी अंकित किया जाना अनिवार्य है। निबंधन शुल्क बैंक ड्राफ्ट (ड्राफ्ट, **झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची** के नाम से तथा राँची में भुगतेय) या बैंक चालान के माध्यम से (United Bank of India के खाता संख्या – 1842050000532 में) जमा किया जाना है। निबंधन शुल्क की राशि निम्नवत् है:–

(क) निबंधन शुल्क – रू0 350.00
(ख) निबंधन शुल्क (विलम्ब शुल्क सहित)– रू0 550.00

4. यदि किसी नामांकित विद्यार्थी / विद्यार्थियों द्वारा नामांकन के समय ही संस्थान में नामांकन शुल्क के साथ निबंधन शुल्क जमा कर दिया गया है तो वैसे मामले में नामांकित संस्थान द्वारा समेकित रूप से बैंक ड्राफ्ट (ड्राफ्ट, **झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची** के नाम से तथा रांची में भुगतेय) के माध्यम से विश्वविद्यालय में राशि संबंधित विद्यार्थी / विद्यार्थियों की सूची सहित जमा की जा सकती है। उस राशि से आच्छादित होनेवाले विद्यार्थी / विद्यार्थियों द्वारा निबंधन आवेदन पत्र / पत्रों में समान बैंक ड्राफ्ट संख्या अंकित करना होगा।

Scanned with CamScanner

5. विद्यार्थियों द्वारा ऑन–लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र को दिनांक – 17.06.2020 तक विलम्ब शुल्क रहित तथा दिनांक – 18.06.2020 तक विलम्ब शुल्क सहित जमा किया जाना है।

विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक – 18.06.2020 के बाद निबंधन आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायगा।

6. संस्थान प्रमुख द्वारा नामांकित विद्यार्थियों की पहचान, ऑन–लाईन (Online) निबंधन आवेदन पत्र में Scanned फोटोग्राफ से मिलान कर एवं संतुष्ट होने के उपरांत ही विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये "Online Registration" के निमित्त Format को दिनांक – 19.06.2020 तक विधिवत अनुमोदित/अस्वीकृत किया जाना है। पर्षद द्वारा "Online Registration" के लिए Login ID एवं Password संस्थान को पूर्व में ही उपलब्ध करा दिया गया है। सुरक्षा कारणों से इसे किसी के साथ Share नहीं करें तथा Password को समय–समय पर बदल लिया जाय। दिनांक – 19.06.2020 के बाद "Online Registration" को Lock कर दिया जायेगा। सुलभ प्रसंग के लिए "Online Registration" हेतु संस्थान के लिए User Guidelines विश्वविद्यालय के अधिकृत कार्यकारी वेबसाईट के "Gyanjyoti" link पर उपलब्ध है।

7. "Gyanjyoti" link पर Students Corner के नीचे Registration के button पर Click करने के बाद Student को ID Field में अपने Email ID को तथा Password Field में Date of Birth को भरा जाना है। इसके उपरान्त Course Type (B. Tech./Diploma) Select कर Sign Up/Sign In किया जा सकता है। Sign Up/Sign In करने के बाद Registration Application Form को भरकर उसका Print Out निकाल कर संबंधित संस्थान में दिनांक– 20.06.2020 तक जमा किया जाना है। निबंधन के संबंध में किसी भी संशय/दुविधा की स्थिति में श्री **मनोज कुमार नायक**, कार्यालय सहायक, **मोबाईल संख्या– 7870730577 से सम्पर्क किया जा सकता है।**

8. संस्थान द्वारा अपने Login ID एवं Password की मदद से Login करने के बाद Students द्वारा submit किये गये Registration Application Form को Registration Section में जाकर सभी प्रविष्टियों की जाँच करते हुए Approve / Disapprove किया जाना है। विद्यार्थियों द्वारा भरे गये Registration Application Form में किसी भी तरह की गलती/गलतियों को सुधारने के पश्चात ही उसे Approve करें। दिनांक – 19.06.2020 से 20.06.2020 तक की अवधि में Registration Application Form को Approve / Disapprove किया जा सकता है। विद्यार्थियों के विवरण का गलत सत्यापन के लिए संस्थान को पूरी तरह से जिम्मेवार समझा जायगा। संस्थान से अनुमोदित (Approve) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निबंधन संख्या आवंटित करते हुए निबंधन प्रमाण–पत्र (Registration Certificate), संस्थान प्रमुख को भेजा जायेगा जिसे उनके द्वारा अवभारित (Download) कर संबंधित विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा।

कृपया इसे प्राथमिकता देना चाहेंगे।

विश्वासभाजन,
कुणाल कुमार 13/06/2020
कुलसचिव
झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
रांची।

Scanned with CamScanner